

# हरिजनसेवक

दो आना

( संस्थापक : महात्मा गांधी )

भाग १७

सम्पादक : मगनभायी प्रभुवास देसायी

अंक ३५

मुद्रक और प्रकाशक  
जीवणजी डाह्याभायी देसायी  
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ३१ अक्टूबर, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें ₹० ६  
विदेशमें ₹० ८; शि० १४

## साम्ययोगकी व्यापक दृष्टि

[भागलपुर जिलेके मंदार विद्यापीठ पड़ाव पर दिये हुये प्रवचनसे]

अिस सांस्कृतिक केंद्रमें आज हम भूमि-दान यज्ञके मूल विचारका मंथन आपके सामने रखेंगे।

### वर्तमान विचार-प्रवाह

अिस मूल विचारका नाम हमने 'साम्ययोग' रखा है। अिस साम्ययोगके आधार पर सर्वोदय-समाजका निर्माण हम करना चाहते हैं। सर्वोदय-समाज बहुसंख्याका नहीं, सारे समाजका हित चाहता है। आप जानते हैं कि आज दुनियामें जो विचार-प्रवाह चल रहे हैं, उसमें अेक तो पूंजीवादका है, जो पुराना विचार है। उसका दावा है कि हम समाजमें क्षमता पैदा करना चाहते हैं। दूसरा लोकशाही समाजवादका है। और तीसरा साम्यवादका है। साम्यवादका दावा है कि हम सबको समान भावसे जीवनकी सब चीजें देना चाहते हैं।

### पूंजीवाद

दुनियामें प्रचलित अिन तीनों विचारोंमें से हम पहले पूंजीवादको लें। पूंजीवाद क्षमताका हामी है। वह कहता है, कुछ लोगोंकी योग्यता कम है, अिसलिये अुन्हें कम मिलना चाहिये। कुछ लोगोंकी योग्यता ज्यादा है, अिसलिये अुन्हें ज्यादा मिलना चाहिये। वह योग्यताके अनुसार पारिश्रमिक देकर समाजमें क्षमता लाना चाहता है। उससे कुछ लोगोंका जीवन अूँचे स्तर तक चला गया है। लेकिन बहुत सारे लोगोंका जीवन बिल्कुल खाबीमें गिर गया है। पूंजीवादके पास अिसका कोअी अिलाज नहीं है। उसका तो साफ कहना है कि जो नालायक हैं, अुनके लिये अिसके सिवा कि वे नालायक बने रहें और कोअी मार्ग नहीं, और जो लायक हैं वे दुनियाके सुख-साधनोंसे लाभ अुठावें, यह अनिवार्य है।

अिस वास्ते दुनिया-दुखी है, और अिसीलिये पूंजीवादके समर्थक भी कम हैं। फिर भी वह चल रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल वह टूटनेवाला है।

### लोकशाही समाजवाद

लोकशाहीमें वोटके बल पर काम चलता है। उसमें अल्प-संख्याकी रक्षा नहीं होती, बहुसंख्याकी होती है। लोकशाही समाज-वादका कहना है कि उसमें सबकी रक्षा हो सकती है। परंतु लोक-शाहीके कारण जो बुराइयां निर्माण होती हैं, अुनको दुरुस्त करनेका अिलाज समाजवादके पास नहीं है। जब तक बहुसंख्याकी रायसे ही अल्पसंख्याको हितकी रक्षा करनेकी कोशिश की जायगी, तब तक पूरा समाजवाद नहीं आ सकता।

### साम्यवाद

अब रहा कम्युनिज्म, जो कहता है कि आजके अूँचे वर्गको खतम किये बगैर समता नहीं आ सकती। वर्ग-संघर्षके बिना और

जिनके हाथमें सत्ता है अुन्हें खतम किये बिना चारा नहीं है। अुतनी हिंसा लाजमी है और धर्म-रूप है।

जाहिर है कि अिस विचारसे भी दुनियामें शांति नहीं होगी, क्योंकि हिंसामें से प्रतिहिंसा ही निर्माण होती है। अितना ही नहीं, अुसके कारण मनुष्यताका मूल्य घट जाता है, मनुष्यताकी प्रतिष्ठा घट जाती है।

### साम्ययोग

लेकिन साम्ययोगका मानना है कि हरअेक मानवमें अेक ही आत्मा समान रूपसे है। साम्ययोग मनुष्य मनुष्यमें भेद नहीं करता। वह तो मानव-आत्मा और प्राणीमात्रकी आत्मामें भी बुनियादी भेद नहीं मानता।

साम्यवाद और साम्ययोगमें जो फर्क है, वह यही कि साम्य-वाद आत्माकी अेकताको नहीं मानता, साम्ययोग मानता है। और मानता है अितना ही नहीं, बल्कि अुसके आधार पर गहराअीमें जाना चाहता है। अिसलिये नैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रोंमें अिसके क्रान्तिकारी परिणाम होते हैं।

### साम्ययोग और ट्रस्टीशिप

आज तक लोग अपनेको सम्पत्तिके सालिक मानते आये हैं। अुसमें हित-विरोध निर्माण होता है। परंतु जहां ट्रस्टीशिपका विचार आता है, वहां पूरी वैचारिक क्रान्ति होती है। यानी अपनी-अपनी चीजों पर हम जो अपनी मालिकियत मानते हैं, वह गलत है। हमारे पास जितनी भी शक्तियां हैं, समाजकी सेवाके लिये हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ साधनेके लिये नहीं। व्यक्तिगत स्वार्थ तो अपने स्वार्थको समाजके चरणोंमें समर्पित कर देनेमें ही है। सारे समाजको अपना स्वार्थ अर्पण कर देना और समाजके हितके लिये सतत प्रयत्न करना, यही मेरा स्वार्थ है। यह है नैतिक विशेषता, जो साम्ययोगमें से निर्माण होती है।

### साम्ययोगकी अर्थनीति

साम्ययोगके कारण आर्थिक क्षेत्रमें भी किस प्रकार क्रान्ति होती है, यह हम देखेंगे। कोअी भी व्यक्ति अपनी शक्तिभर समाजका पूरा काम करता है, तो वह रोजीका हकदार हो जाता है। अेक आदमी जो बिना आंखका है, अपनी अिस कमीके बाव-जूद अुससे जो कुछ बनता है पूरी शक्तिसे करता है, तो वह खानेका हकदार है। आंखवालेकी अपेक्षा अुसकी सेवाकी मात्रा कम हो सकती है, लेकिन कम-ज्यादा शक्तिके अनुसार पोषणमें कम-बेश देनेकी कल्पना गलत है। पोषण भीतिक वस्तु है, सेवा नैतिक वस्तु है। नैतिक वस्तुकी कीमत भीतिक वस्तुमें हो नहीं सकती। पुत्रने माताको जो कुछ दिया, विद्यार्थीने गुरुको जो कुछ दिया, किसानने समाजको जो कुछ दिया, अुसकी कीमत नहीं हो सकती।

नैतिक मूल्योंके समान आर्थिक क्षेत्रमें भी श्रमका मूल्य समान होना चाहिये। आज अिसका बिल्कुल अुलटा होता है। बल्कि

होता यह है कि शारीरिक कामकी अपेक्षा बौद्धिक कामकी मजदूरी ज्यादा दी जाती है। उसकी प्रतिष्ठा भी ज्यादा होती है। लेकिन जिस तरहका फर्क बिल्कुल बेवुनियाद है। चूंकि साम्ययोगका विचार आत्माकी समानता पर निर्भर है, जिसलिये आर्थिक क्षेत्रमें भी वह कोई भेद स्वीकार नहीं कर सकता। हां, व्यक्ति-भेद और शक्ति-भेदके अनुसार सेवा-भेद भले ही हो, लेकिन चिंता सबकी समान होनी चाहिये। हरएकके अंगुली कम-बेश काम देती है, परंतु वे हैं सब समान। अकसे जो काम होता है, वह दूसरीसे नहीं होता। जिसी तरह समझना चाहिये कि समाजमें हरएककी सेवाका प्रकार भिन्न हो सकता है, परंतु उसका आर्थिक मूल्य समान ही होना चाहिये।

हमने देखा कि साम्ययोगके सिद्धान्तके अनुसार जब नैतिक मूल्योंमें फर्क नहीं होता है, तो आर्थिक क्षेत्रमें भी फर्क नहीं होना चाहिये। हरएकको विकासका पूर्ण मौका मिलना चाहिये। विद्यार्थी तालीम ग्रहण करेंगे अपनी ग्रहणशक्तिके अनुसार। परंतु यह नहीं हो सकता कि फलाना लड़का गरीबका है जिसलिये उसकी तालीमका प्रबंध नहीं है और फलाना श्रीमानका है जिसलिये उसकी तालीमका प्रबंध है। अगर जिस तरह हम समान मूल्य नहीं रखेंगे, तो सबका विकास नहीं हो सकेगा। मजदूरीका परिमाण कम-बेश होनेसे विकास गलत तरीकेसे होगा, और दूसरे क्षेत्रोंका नाहक आकर्षण होगा, जैसा कि आज हो रहा है। समान वेतनसे यह वृत्ति रुकेगी।

### साम्ययोग और विकेन्द्रीकरण

जिस विचारका आर्थिक क्षेत्रमें यह नतीजा आयेगा कि गांव-गांव संपूर्ण स्वावलंबी बनेंगे। अनाज, कपड़ा, घी, दूध आदि प्राथमिक आवश्यकताओंकी सभी चीजें हर गांवमें पैदा होंगी और गांव स्वयंपूर्ण बनेगा। बुनियादी चीजोंकी पूर्ति देहातोंमें ही होनी चाहिये। भगवान्ने सबको परिपूर्ण बनाया है। अकल और ताकत कम-बेश होती है, परंतु भगवान्की योजना अतनी विकेंद्रित है कि सबका विकास हो सकता है। वैसी ही विकेंद्रित योजना हम आर्थिक क्षेत्रमें भी चाहते हैं। आर्थिक क्षेत्रमें अगर समता नहीं होगी, तो अंच-नीचका भेद बढ़ेगा, परावलंबन पैदा होगा, एक आत्मा दूसरी आत्माकी गुलाम बनेगी। जिसलिये हम विकेंद्रित अर्थ-व्यवस्था चाहते हैं।

### साम्ययोगकी राजनीति एवं समाजनीति

जिसी तरह राजनैतिक क्षेत्रमें भी हमारे आजके मूल्य बदल जायेंगे। हम न सिर्फ शोषण-हीन बल्कि शासन-हीन समाजरचना चाहते हैं। साम्ययोगकी कल्पनाके अनुसार शासन गांव-गांवमें बंट जायगा। यानी गांव-गांवमें अपना राज होगा, मुख्य केंद्रमें नाम-मात्रके लिये सत्ता रहेगी। जिस तरह होते-होते शासन-रहित समाज बन जायेगा।

सामाजिक क्षेत्रमें भी जाति-भेद या अंच-नीचका भाव नहीं रहेगा। अगर किसीमें ब्राह्मणका गुण है, तो उसे तदनुकूल काम दिखा जा सकता है। लेकिन उसके कारण दूसरोंसे उसे अंच-मननेका कारण नहीं है। उसी तरह मेहतर, चमार आदि भी नीच नहीं समझे जा सकते। अन्के बिना भी समाजका काम नहीं चलता।

### बुनियादी क्रान्तिक विचार

जिस तरह नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सूत्रोंमें साम्ययोग परिवर्तन लाना चाहता है। जिसीको क्रान्ति कहते हैं। आजकल हिंसाकी ही क्रान्ति समझते हैं। परंतु जहां बुनियादी चीजोंमें क्रान्ति नहीं होती, वहां अपर-अपरके परिवर्तनको क्रान्ति कहना

गलत होगा। क्रान्ति तभी होती है, जब हम अपने नैतिक जीवनमें परिवर्तन करते हैं। हमारा दावा है कि साम्ययोग नैतिक मूल्योंमें परिवर्तन करता है, क्योंकि उसकी बुनियाद आध्यात्मिक है और वह जीवनकी सारी शाखा-अपशाखाओंमें आमूलाग्र क्रान्ति करता है।

### साम्ययोगकी व्यापक दृष्टि

भाबियो! यह भूदान तो एक पच्चर है। आरंभमें विचारको समझनेके वास्ते मोह-ममतासे मुक्त होनेका यह विचार है। लेकिन मुक्त हों कैसे? तो शुरू करना है जमीनकी मालिकियतसे मुक्ति पानेके कामसे। अन्तमें हमारी कल्पना तो यह है कि गांवकी जितनी भूमि है, वह सब गांववालोंकी है। और आगे जाकर तो हम कहेंगे कि प्रांतमें अगर भूमि कम है और लोग ज्यादा हैं, तो जिस प्रांतके लोग उस प्रांतमें जाकर बस सकते हैं। और जिसी तरह जिस देशमें से दूसरे देशमें भी जा सकने चाहिये। पृथ्वी माता सारीकी सारी पूर्ण, मुक्त है। जो जहां रहना चाहे रह सके। जो जहां सेवा करना चाहे कर सके। जिस तरह हम दुनियाके नागरिक बनना चाहते हैं। और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक भेद नहीं रखना चाहते। जमीन थोड़ी हो, बहुत छोटी हो या बड़ी हो, सब परमेश्वरकी देन है। हम उसके मालिक नहीं बन सकते। हिन्दुस्तानके लोग हिन्दुस्तानके मालिक, जर्मनीके लोग जर्मनीके मालिक, यह विचार ही गलत है। जितनी भी हवा है, जितना भी पानी है, जितनी भी रोशनी है और जितनी भी धरती है, वह सारीकी सारी सबकी है। यह है हमारी साम्ययोगकी व्यापक दृष्टि।

विनोबा

### गरीबी और बेकारी

हमारे देशका नेतृत्व करनेवाले लोग यह समझते हैं कि गरीबी और बेकारी हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्याएँ हैं। अगर गरीबी दूर हो जाय, तो हमारी कमी समस्याएँ अपने आप हल हो जायंगी और दूसरी कमी समस्याएँ काफी आसान बन जायंगी। जिस लेखमें हम जिन समस्याओंका गहरा वैज्ञानिक अध्ययन करके कुछ स्पष्ट परिणामों पर पहुंचना चाहते हैं।

बेकार आदमी हम उसे कहेंगे, जिसके पास अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिये पैसा नहीं होता और जो यह पैसा पानेके लिये नीकरी या काम चाहता है। लेकिन जिस आदमीके पास अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिये काफी पैसा होता है, वह भले कोई काम न करे, उसे बेकार नहीं कहा जाता। जिसलिये मुख्य वस्तु है मानवकी जरूरतोंकी पूर्ति, और गरीबी पैदा होती है जिन जरूरतोंके पूरे न होनेसे। पैसा जिन जरूरतोंको पूरा करनेका साधनमात्र है। मनुष्यकी जरूरतें भोजन, वस्त्र और मकानसे — गेहूँ, चावल, दूध, लोहा, चूना वगैराले पूरी होती हैं। पैसा, भोजन, वस्त्र या मकानके रूपमें काममें नहीं लिया जाता; वह जिस तस्वीरमें अलग-अलग आदमियों द्वारा तैयार की हुयी चीजोंके विनिमयके माध्यमके रूपमें ही आता है।

मौजूदा औद्योगिक पद्धतिका मूल आधार मानवकी भौतिक जरूरतोंका क्रमशः बढ़ते जाना है। पूंजीपति अन्हें पूरा करते रहते हैं और अपनी दौलत तथा शक्ति बढ़ाते रहते हैं। आदमी अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिये मेहनत और काम करता है, लेकिन औद्योगिक रचना अन्हें पूरा करनेके लिये नहीं, बल्कि अन्हें पैदा करनेके लिये काम करती है। जिस तरह औद्योगिक पद्धति लोगोंके हितके खिलाफ काम करती है, जो आज हमारे जीवनके लगभग हर क्षेत्रमें दिखायी देता है और जो हमारे

देशमें दिनोंदिन बढ़ रही गरीबी और बेकारीके लिये बहुत हद तक जिम्मेदार है।

जो चीज जरूरतें पैदा करती है, वह गरीबीको जन्म देती है; और जो चीज जरूरतोंको मिटाती है, वह गरीबीको दूर करती है। अन्न शरीरके लिये जरूरी है और जो आदमी अन्न नहीं खरीद सकता वह गरीब है। लेकिन अगर आदमी अन्नके बिना रह सके, तो अन्नका न मिलना गरीबी पैदा नहीं करेगा।

हम यहां कुछ आधुनिक औद्योगिक पद्धतिकी चीजोंके अपुयोगसे होनेवाले आर्थिक परिणामोंकी तुलना कुछ कुदरती चीजोंके अपुयोगसे पैदा होनेवाले आर्थिक परिणामोंके साथ करके इस बड़े महत्त्वके सिद्धान्तको समझानेकी कोशिश करेंगे।

मनुष्य अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये मेहनत-मशक्कत करता है; लेकिन आजकल पैसा खर्च करने पर आवश्यकतायें पूरी नहीं होतीं बल्कि बढ़ती हैं। अुदाहरणके लिये, एक आदमी मोटरकार खरीदनेमें १५ हजार रुपये खर्च करता है, जो इस जमानेकी बहुत महत्त्वपूर्ण चीज है। यह कार अुसकी कोअी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं करती, बल्कि अुसकी जरूरतोंको बढ़ाती है। अब अुसे टायर, ट्यूब, पेट्रोल और तेल, ड्राइव्हर, क्लीनर, मोटर-गैरेज वगैराकी जरूरत होती है। कुछ समय बाद अुसकी मरम्मतके बिल शुरू होते हैं और बढ़ने लगते हैं। अब अगर अुसके पास पेट्रोल खरीदनेकी पैसे नहीं होते, तो वह अपनेको बहुत गरीब मानता है। जिस आदमीके पास कार नहीं है, अुसे पेट्रोलके लिये पैसेकी जरूरत नहीं होती। हमारा यह मतलब नहीं कि कार बेकार चीज है, लेकिन अितना हम जरूर कहेंगे कि जो लोग कार रखते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों पर वह भयंकर बोझ ही होती है।

सिगरेट और चाय दो और आधुनिक युगकी महत्त्वपूर्ण चीजें हैं। सिगरेट और चाय पीना आजकल कुलीनता और बड़प्पनकी निशानी माना जाता है। लेकिन अिन दोनोंके जरिये कोअी मानव जरूरत पूरी नहीं होती; अुलटे वे शरीरको भारी नुकसान पहुंचाती हैं। इस प्रकार लोग अिन पर पैसा खर्च करते हैं और फिर अुनसे होनेवाली बीमारियोंके अिलाजमें और ज्यादा पैसा खर्च करते हैं।

अब हम दूध और शहद जैसी कुदरती चीजों, जो युगोंसे मानव समृद्धि और अुन्नतिका आधार मानी जाती रही हैं, के अपुयोगके आर्थिक परिणामोंका विचार करें। गाय-भैंस हमें दूध और दूधसे बनी अन्य चीजें देती हैं। दूध पूरी सन्तुलित खुराक है, और आदमी केवल दूध पीकर पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। हमारे भोजनमें अुसकी कमी ही क्षय, अधेपन, दांतोंके बिगड़ने और हमारी दूसरी कअी बीमारियोंका बहुत बड़ा कारण है।

दूध, अुससे बनी चीजों और गायके कुछ लाभ यहां दिये जाते हैं:

१. ये चीजें पाचनक्रियासे सम्बन्ध रखनेवाले अवयवोंको पूर्ण स्वस्थ रखती हैं और हम जो भोजन लेते हैं, अुसमें से शरीर पूरा पोषण प्राप्त कर सकता है। इसलिये कम अन्नसे हमारा काम चल जाता है।

२. बीमारियोंके अिलाजमें कोअी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि शरीर पूर्ण स्वस्थ हालतमें रहता है।

३. गाय घास और खली खाती है और अुन्हें दूध और घीके रूपमें बदल देती है। गोबर बहुत कीमती खाद है और हमारी आजकी अन्नकी कमी इस खादके अभावका सीधा नतीजा है।

आज गेहूंका औसत अुत्पादन प्रति एकड़ १२ मन है, जो गोबरकी मददसे आसानीसे दुगुना किया जा सकता है।

४. गाय हमें बल देती है, जो खेतमें हल चलाते हैं; कुअेंसे पानी खींचते हैं और बोझा ढोते हैं।

५. गायको एक ही बार खरीदना पड़ता है, लेकिन वह कअी गायोंको जन्म देती है। इसकी तुलनामें कार हर ४ या ५ साल बाद खरीदना पड़ती है, वना मरम्मतका खर्च खूब बढ़ जाता है।

६. जब गाय या बल मरता है, तो अुसके चमड़ेकी जूते-चप्पल वगैरा चीजें बनती हैं और हड्डियां कीमती खादका काम देती हैं।

अब शहदको लीजिये। शहद प्रकृतिकी सबसे पूर्ण मिठाअी है। भारतीय युगोंसे अुसे अमृत मानते आये हैं। खुराकके रूपमें वह कितना कीमती है और स्वास्थ्यको अुससे कितने लाभ होते हैं, यह सारी दुनिया जानती है।

जो मधुमक्खियां शहद पैदा करती हैं, वे दूसरी कीमती सेवा भी करती हैं। वे एक फूलसे दूसरे फूल तक अुत्पादक तत्त्व ले जानेका काम करती हैं। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि मधुमक्खियां इस तरह दुनियाकी खेतों और बगीचोंकी ९० प्रतिशत फसलें पैदा करनेमें सहायक होती हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यकी बात है कि भारत जैसे खेती-प्रधान देशमें मधुमक्खियोंकी भयंकर कमी है।

केनाडा हर साल ३ करोड़ ६० लाख पौंड शहद पैदा करता है। लेकिन भारतमें करोड़ों रुपयेका शहद धूप और हवामें सूख जाता है, क्योंकि हमारे यहां शहद अिकट्टा करनेवाले मधुमक्खी-पालक हैं ही नहीं। और लाखों छत्ते शहद अिकट्टा करनेके अवैज्ञानिक तरीकोंके कारण नष्ट हो जाते हैं। विदेशोंमें मधुमक्खी-पालनको केवल इसीलिये ज्यादा पसन्दके अुद्योगोंमें नहीं माना जाता कि अुससे शहद और मोम मिलता है, हालांकि अिन दोनोंका महत्त्व तो है ही, बल्कि इसलिये कि मधुमक्खियां अ्रेक फूलका पराग दूसरे फूल तक पहुंचाकर अुत्पादन कअी गुना बढ़ानेकी अनिवार्य सेवा करती हैं। मधुमक्खी-पालनसे शहदके रूपमें हमें जो लाभ मिलता है, अुससे कमसे कम १५ गुना ज्यादा लाभ खेती और फल-अुत्पादनके अुद्योगोंमें होता है। यह बिलकुल सादा गणित है कि भारतीय खेतोंकी आधीसे ज्यादा फसल हम इसलिये खो देते हैं कि हमारे यहां अ्रेक फूलसे दूसरे फूल तक अुत्पादक तत्त्व पहुंचानेवाली मधुमक्खियोंका अभाव है।

अुपरकी चर्चा यह बताती है कि दूध, दूधसे बनी चीजें, शहद, गाय और मधुमक्खियां बड़ी तादादमें हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी कर देते हैं और इस तरह कअी मोच्चों पर गरीबीसे लोहा लेते हैं। हम दिनोंदिन ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने समृद्धि लानेवाले अिन मुख्य तत्त्वोंकी अपेक्षा की है और हम मौजूदा औद्योगिक पद्धतिसे बनी चीजोंका अपुयोग करने लगे हैं, जो गरीबी पैदा करती हैं।

२५-९-५३  
(अंग्रेजीसे)

अेम० आर० अग्रवाल

## अुस पारके पड़ोसी

[पूर्व अफ्रीकाके प्रवासका रोचक वर्णन]

काका कालिलकर

कीमते ३-८-०

डाकखर्च ०-१०-०

नवजीवन प्रकाशन मन्चिर, अहमदाबाद-९

## हरिजनसेवक

३१ अक्टूबर

१९५३

### भाषावार प्रान्तरचनाका सार

भाषावार प्रान्तरचनाका सवाल धीरे-धीरे अतना अग्र बनता जा रहा है कि जिस विषयमें दरअसल हम क्या चाहते हैं, जिसका हमें अपने मनमें स्पष्ट विचार कर लेना चाहिये। वर्ना अलुटा ही परिणाम आनेका पूरा भय है; और जिस क्षेत्रमें जिस भयका अर्थ है भारतकी अकेलाका खतरेमें पड़ना। फिर, यह भय अकारण तो हरगिज नहीं कहा जा सकता।

भारतमें लाखों-करोड़ों लोगों द्वारा बोली जानेवाली अनेक बड़ी-बड़ी भाषायें हैं। जिसलिअे यह स्वाभाविक है कि अुस अुस भाषाके बोलनेवाले लोगोंके प्रदेशका राजकाज, शिक्षा, अदालतें वगैरा अुसी भाषामें चलें—और चलने चाहिये। क्योंकि जिसके बिना आम लोग स्वराज्यका सच्चा आनन्द नहीं भोग सकते और अुनका पूरा विकास भी नहीं हो सकता। जिसके खिलाफ काम किया जाय, तो स्वराज्यका अर्थ ही क्या रह जाय?

जिस सीधी-सादी बातको सामान्य रूपमें अैसी भाषामें व्यक्त किया गया कि भाषावार प्रान्तरचनाके आधार पर देशके नकशेकी पुनर्रचना होनी चाहिये। जिसके पीछे जो सच्चा रहस्य और हेतु था, वह अपूर बताया जा चुका है। और स्वराज्य आनेके बाद भी वही हेतु सच्चा है। जिसलिअे जनतामें से यह पुकार अुठा करती है।

जिस हेतुको ध्यानमें रखकर कांग्रेसने १९२०-२१ से अपना काम शुरू किया। वह प्रजाको पसन्द आया। अुसकी वजहसे लोकमत भी वैसा ही तैयार हुआ और मजबूत बनता गया। यहां तक कि कुछ लोगोंकी भावनामें जिस विचारने जरूरतसे ज्यादा महरी जड़ें जमा लीं।

लेकिन जिस प्रकार प्रदेशोंकी भाषावार रचना करनेका अर्थ कांग्रेस विधानमें अैसा नहीं था कि अुस अुस भाषाभाषी प्रदेशके संपूर्ण विस्तारका अेक ही प्रान्त बनाया जाय। 'अेक भाषा—अेक राज्य' यह अुसका नियम नहीं था। जिस चीजको आज साफ-साफ समझ लेनेकी जरूरत है। अुदाहरणके लिअे, हिन्दी भाषा बोलनेवाले विशाल अुत्तर भारतमें बिहार, युक्त प्रान्त, दिल्ली, पंजाब वगैरा अनेक प्रान्त थे। मराठी बोलनेवाले प्रदेशमें महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्यप्रान्त (मराठी) जैसे विभाग थे। दूसरी तरफ, शासन-प्रबन्धकी दृष्टिसे अेक ही सी० पी० में महाकोशल, विदर्भ और सी० पी० (मराठी) ये तीनों प्रदेश थे। बम्बयी शहर अेक अलग प्रान्त था, और बम्बयी प्रान्तमें तीन अलग-अलग कांग्रेसी प्रान्त थे। गुजरातमें सौराष्ट्र-कच्छका प्रदेश था। कहनेका मतलब यह है कि कांग्रेसी प्रान्तरचना जो भाषावार कहलाती थी, अुसका यह अर्थ नहीं था कि अेक भाषाभाषी विभाग शासनकी दृष्टिसे भी पूरा अेक प्रान्त ही होता था। भाषावार प्रान्तरचनाका सार शुरूमें बताया गया वही था। और अुस सार तत्त्वको सिद्ध करनेके लिअे जहां भाषावार विभाग करने जैसे लगे (जैसे कि मध्यप्रान्त—सी० पी० में), वहां कर दिये गये और कहीं नहीं भी किये; और अुसके बिना भी अपूरके सार तत्त्वकी रक्षा की। अर्थात् अैसा नहीं माना गया कि अुस सार तत्त्वकी सिद्धिके लिअे भाषावार प्रान्तकी शासनिक अिकायी भी बनाना ही चाहिये। कांग्रेसने अुसीको अेकमात्र सिद्धान्त न माना, अैसा कि आज कुछ लोग अुसका अर्थ करने लगे हैं। यह

ठीक नहीं है। स्वराज्यके आनेसे जो नये-नये विचार और आशायें फूटने लगी हैं, अुनमें से ये नये-नये मनमाने अर्थ और हेतु निकाले जाते हैं। और वे अैसे होते हैं कि अुनके कारण देशके अलग-अलग प्रदेशोंके बीच, यद्यपि वे अेक ही राष्ट्रके अंग हैं, खींचतान, वैरभाव और कड़वाहट पैदा होती है। भाषावार प्रान्तरचनाका जो सार है, अुस पर वर्तमान राज्य अपने आजके रूपमें ही अमल करने लग जाय, तो फिर अैसा नहीं कहा जा सकता कि अलग-अलग भाषावार राज्य होने ही चाहियें। जैसे कि बम्बयी राज्यमें तीन प्रदेश-भाषायें हैं। अगर अुस अुस भाषाके प्रदेशका राजकाज, शिक्षा वगैरा अुसी भाषामें चलाया जाय तो काम चल सकता है। परन्तु अैसा करनेमें मुश्किलें खड़ी होती हैं। कुछ लोग अंग्रेजीको ही कायम रखनेकी बात करते हैं। हिन्दी भाषा अुत्तर प्रदेशकी ही हर जगह चले, अैसे संकुचित विचार पैदा हुअे हैं। विश्वविद्यालय और सरकारें शिक्षाके क्षेत्रमें भाषा-सम्बन्धी निर्णय नहीं कर पाते। अिन सबके कारण और ज्यादा अुलझनें पैदा होती हैं। जिसलिअे अभी तुरन्त तो यही किया जाना चाहिये कि देशकी महान भाषाओंको अुनके अधिकारके स्थान पर—यानी राजकाजमें, शिक्षामें, अदालतोंमें—बैठाया जाय। जिससे भाषा-वार प्रान्तरचनाका सार तत्त्व अमलमें आता जायगा तथा यह सवाल सरल और साफ होता जायगा कि आर्थिक, भौगोलिक और दूसरी विभिन्न दृष्टियोंसे भारतीय संघकी राजकाजसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रदेशरचना कैसे की जाय।

१४-१०-५३  
(अंग्रेजीसे)

मगनभाजी देसाजी

### पारङीमें भूदान-कार्य

आचार्य कृपलानीजीने मेरे लेख 'आचार्य कृपलानीसे विनती' (हरिजनसेवक, १०-१०-५३) का अुत्तर सम्पादकके नाम पत्र लिखकर दिया है। यह पत्र अब तक दैनिक अखबारोंमें निकल चुका है। अुस लेखमें मैंने अुनसे जो प्रार्थना की थी, अुसके प्रकाशनके बाद साबरमतीमें गुजरात भूदान-समितिकी बैठक हुअी और अुसने भी प्रजा-समाजवादी पार्टीसे यही प्रार्थना की कि वह आन्दोलन वापिस लेकर भूदान-कार्यकी सफलताके लिअे आवश्यक शान्तिमय वातावरणका निर्माण करे, और अपनी शक्ति भूदान-कार्यमें ही लगाये। समितिने अपने प्रस्तावमें जनताका ध्यान जिस बात पर खींचा है कि भूदान-समस्याके समाधानके लिअे सत्याग्रहका सही और अुचित रूप विनोबाजी द्वारा दिखाया हुआ भूदानका तरीका ही है। समितिने पारङीकी प्रजा-समाजवादी पार्टीके सदस्योंसे अनुरोध किया है कि वे फिर भूमिदान अिकट्ठा करनेके काममें समितिका हाथ बंटावें। यह जानकर बहुत खुशी हुअी कि समिति शीघ्र ही अपने कार्यकर्ताओंको पारङी भेज रही है, जहां जिस खेड़-सत्याग्रहके वातावरणमें अुन्हें अपना काम बन्द कर देना पड़ा था। हम अुनके जिस प्रयत्नकी सफलताकी कामना करते हैं। हम आशा करते हैं कि पारङी तालुकेके निवासियोंके विभिन्न वर्गोंमें सद्भावपूर्ण संबंधोंका निर्माण करनेमें, और भूमिहीनोंके लिअे काफी भूमि प्राप्त करनेमें अुन्हें कामयाबी हासिल होगी।

आचार्यजीने अपने जवाबमें मेरे द्वारा अुठाये गये दो मुद्दों पर अपनी राय बतायी है: पहला मुद्दा यह था कि "पारङी सत्याग्रहके नेता अब अुसे तुरन्त समेट लें। . . . जिसमें प्रजा-समाजवादी पार्टीको अपनी प्रतिष्ठाकी आड़ नहीं लेना चाहिये।" खेद है कि आचार्यजी प्र० स० पार्टीकी स्थानीय शाखाको, अगर सत्याग्रह वापिस लेनेका काम अुसके करनेका था तो, अैसी सलाह देनेके लिअे सहमत नहीं हो सके।

दूसरा मुद्दा यह था कि "जांचकी बात तो ऐसी है कि चाहे तो प्रजा-समाजवादी पार्टी खुद ही जांचका काम अपने हाथमें ले सकती है।" साथ ही मैंने यह भी कहा था कि "ऐसी जांच करनी ही हो, तो पहले यह साफ हो जाना चाहिये कि किस बातकी जांच करनी है।"

पहलेके बारेमें वे कहते हैं, "आपने मुझे सत्याग्रह स्थगित करनेका आदेश देनेकी सलाह दी है, ताकि समझौतेकी बातचीत शुरू की जा सके। आपको शायद जनतंत्रके अड्डे पर संघटित पार्टियोंके काम करनेका तरीका नहीं मालूम है, अन्यथा आपने यह सलाह न दी होती। समझौतेकी बातचीत होगी किससे? जिससे बातचीत होना है, वह मैं नहीं बल्कि श्री अशोक मेहता और स्थानीय शाखाके अगुए वे साथी हैं, जिनके नेतृत्वमें सत्याग्रह शुरू हुआ। जहां तक मैं जानता हूं श्री अशोक मेहता श्री मोरारजी-भाभीसे लगातार पत्रव्यवहार कर रहे हैं, और, जैसा कि वे हमेशा करते आये हैं, जिन बातों पर दोनों पक्ष अकराय हो सकते हैं, अगुएकी लगातार खोज कर रहे हैं। श्री मोरारजीभाभीको भी आजकी तरह मतभेदों पर जोर न देकर ऐसा ही करना चाहिये। ऐसा हो तो झगड़ेके सद्भावपूर्वक सुलझनेमें देर नहीं लगेगी। श्री मेहताको आजादे कर दिया जाय और बातचीतके लिये बुलाया जाय, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे खुद अपने साथियों और किसानोंको वर्तमान सत्याग्रह स्थगित करनेकी सलाह देंगे और समस्या सुलझानेमें पूरी मदद करेंगे।"

दूसरे मुद्देके बारेमें वे लिखते हैं, "आपका प्रजा-समाजवादी पार्टीसे अपनी जांच-समिति नियुक्त करनेके लिये कहना सचमुच बहुत अजीब है। जाहिर है कि आपको यह सूझा ही नहीं कि स्थानीय शाखाने सरकारके पास जाने या सत्याग्रह शुरू करनेके पहले यह काम किया ही होगा। आप चाहते हैं कि यह जांच 'शास्त्रीय और निष्पक्ष' होनी चाहिये। कोअी जांच शास्त्रीय और निष्पक्ष हो, जिसके लिये यह जरूरी है कि उसमें झगड़ेसे संबंधित सब पक्षोंके प्रतिनिधि हों। ऐसी कमेटी तो संबंधित पार्टियों यानी किसानों तथा जमींदारोंके प्रतिनिधियों और अपनी निष्पक्षताके लिये प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ताओं आदिसे सलाह करके सरकार ही नियुक्त कर सकती है।"

अखबारोंसे मालूम होता है कि प्रजा-समाजवादी पार्टी और किसान-पंचायतने, जिन्होंने कि यह खेड़ सत्याग्रह शुरू किया था, अब उसे वापिस ले लिया है; और उसकी जगह अक दूसरा आन्दोलन शुरू होगा, जिसे 'जमींदारोंको भूखों मारो' नाम दिया गया है। ऐसी अवस्थामें अपनी पहली सूचना पर अधिक कुछ कहनेकी जरूरत नहीं रह जाती। अतना ही कहता हूं कि अच्छा होता अगर वापिसी ज्यादा साफ और सुनिश्चित होती और उसका ढंग ज्यादा सुन्दर होता, ताकि गलत रास्ते पर ले जाये गये आदिवासियोंको और ज्यादा तकलीफ न अठाना पड़ती।

दूसरे मुद्देके बारेमें मैं फिर डुहराता हूं कि जांच-समिति अुपयोगी, असरकारक, शास्त्रीय और निष्पक्ष हो, जिसके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह सरकार द्वारा ही नियुक्त की जाय। अुदाहरणके लिये, कांग्रेसने 'जलियानवाला बाग', 'पब्लिक डेट' तथा दूसरी कअी जांच-समितियां क्या खुद ही नहीं नियुक्त की थीं? क्या चम्पारनमें गांधीजीने वह जांच, जिसने बिहार सरकारको अुस सवाल पर विचार करनेके लिये मजबूर कर दिया, खुद ही नहीं चलायी थी? और क्या वह जांच सरकार तथा जमींदारोंके अुग्र विरोधके बावजूद नहीं चलायी गयी थी?

अिस जांचके सवालके बारेमें आचार्यजी यह भी कहते हैं कि स्थानीय शाखाने "सरकारके पास जाने या सत्याग्रह शुरू करनेके

पहले यह काम किया ही होगा।" मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक मुझे मालूम हुआ है ऐसा कुछ नहीं किया गया; और अगर अुससे मिलता-जुलता कुछ किया गया है, तो जनताके समक्ष अुसकी बाकायदा तैयार रिपोर्ट रखी नहीं गयी। यह काम अभी भी किया जा सकता है। अुसमें भी ज्यादा महत्त्वकी बात यह है कि अिस जांचके अुद्देश्य बहुत स्पष्ट और निश्चित हों। मैं अुम्मीद करता हूं कि प्रजा-समाजवादी पार्टी 'जमींदारोंको भूखों मारने' की अपनी नयी मुहिमके जरिये जमींदारों और किसानोंमें द्वेष-भाव बढ़ानेसे बाज आयगी, और जांचका काम खुद अुठायगी तथा अुसका नतीजा सरकार और जनताके सामने रखेगी। जहां तक घासकी जमीन पर अनधिकार प्रवेश करके प्रगट रूपसे कानून भंग करनेका काम बंद कर दिया गया है, वहां तक पार्टीका निर्णय जरूर ठीक हुआ है। हम यह अुम्मीद भी करते हैं कि प्रजा-समाजवादी पार्टीके कार्यकर्ता गुजरात भूदान-समितिके प्रस्ताव पर ध्यान देंगे, और पारडीमें अुसके साथ सहयोग करेंगे। ऐसा हो तो आशा है कि ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकेगी, जिससे सरकार सारी घटना पर अुदारतापूर्वक विचार कर सके, खासकर अुन आदिवासियोंके मामलों पर सहानुभूतिके साथ सोच सके, जिन्होंने दूसरोंकी गलत सलाहमें पड़कर कानूनका भंग किया और अिसलिये जिन पर सरकारको मुकदमे चलाने पड़े। ऐसा होगा तो सालके अिस मौसममें, जब कि अुन्हें खेतोंमें काम मिलता है, वे अपने काम पर वापिस आ सकेंगे।

२६-१०-५३

मगनभाभी देसायी

(अंग्रेजीसे)

## जमीनकी अूंचीसे अूंची मर्यादा

पंचवर्षीय योजनाने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि भारतकी जमीन-सम्बन्धी नीतिका अक बुनियादी सिद्धान्त यह होना चाहिये कि "किसी अक व्यक्तिके पास ज्यादासे ज्यादा कितनी जमीन रहनी चाहिये, अिसकी सीमा निश्चित कर दी जाय।" कुदरती तौर पर जमीनकी यह अूंचीसे अूंची मर्यादा हरअक राज्यको अपने भूमि-सम्बन्धी अितिहास और वर्तमान परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर निश्चित करनी होगी। अिसलिये योजना-कमीशनने अक केन्द्रीय भूमि-सुधार कमेटी नियुक्त कर दी है, जो विभिन्न राज्योंको मौजूदा जमीनोंकी अूंचीसे अूंची मर्यादा निश्चित करनेके लिये जमीन-सम्बन्धी जरूरी आंकड़े अिकटूठ करनेमें मदद करेगी। योजना-कमीशनने बड़ी-बड़ी खानगी जमीनोंको दो श्रेणियोंमें भी बांट दिया है: १. वे जमीनें जिनका प्रबन्ध अितने अच्छे ढंगसे होता है कि अुन्हें तोड़नेसे अुत्पादनमें कमी आ सकती है; २. वे जमीनें जो व्यवस्था और अुत्पादनकी आवश्यक कसीटी पर खरी नहीं अुतरती। दूसरी श्रेणीकी जमीनोंके लिये योजना-कमीशनने यह सिफारिश की है कि विभिन्न राज्य-सरकारोंको जल्दीसे जल्दी भूमि-व्यवस्था कानून बनाने चाहिये।

अ० भा० कांग्रेस कमेटीने भी अपने आगरा अधिवेशनमें यह प्रस्ताव पास किया था कि "खास करके जमीन-सुधारके सम्बन्धमें प्रगतिकी रफ्तार तेज की जानी चाहिये।" कांग्रेस कमेटीने "भारतमें दूरगामी भूमि-सुधार दाखिल करनेको" सबसे ज्यादा महत्त्व दिया था। "यद्यपि कअी राज्य-सरकारोंने अिस दिशामें प्रगति की है, फिर भी अपने हाथों जमीन जोतनेवाले किसानोंको जमीनके मालिक बनानेके लिये अभी बहुत कुछ करना बाकी है।" अिसलिये अ० भा० कांग्रेस कमेटीने सारी राज्य-सरकारोंसे यह अपील की कि वे जमीन-सम्बन्धी आवश्यक आंकड़े अिकटूठ करने और जमीनोंकी अूंचीसे अूंची मर्यादा निर्धारित करनेकी दिशामें

तुरन्त कदम उठावें, ताकि जहां तक संभव हो बेजमीन मजदूरों में जमीन बांटी जा सके।

जिसलिये यह जानकर हमें बड़ा दुःख होता है कि हालमें हुअे कृषि-मंत्रियोंके सम्मेलनमें जिसके खिलाफ राग अलापा गया। उस सम्मेलनने असा वातावरण पैदा नहीं किया, जिससे राष्ट्रीय योजना और अ० भा० कांग्रेस कमेटीके आगरा-अधिवेशन द्वारा प्रतिपादित जमीन-सम्बन्धी नीतिके अमलमें मदद मिले। यह देखकर हमें आश्चर्य होता है कि भारत-सरकारके कृषि-मंत्री डॉ० पंजाबराव देशमुखने मौजूदा जमीनोंकी अूचीसे अूची मर्यादा बांधनेके बुनियादी सिद्धान्तका खुला विरोध किया और कहा कि ग्रामीण जीवनमें हस्तक्षेप करनेवाली अैसी नीतिसे अुलटा हमें नुकसान होगा। जिसलिये अुन्होंने मौजूदा खेतोंकी अुच्चतम मर्यादा बांधनेकी नीति छोड़ देनेकी हिमायत की। विभिन्न राज्यों पर यह प्रभाव डालनेके बजाय कि जमीनोंकी अूचीसे अूची मर्यादा बांधनेके लिये जमीन-सम्बन्धी आंकड़े बिकट्टे करनेका काम आगे बढ़ाना आवश्यक है, अुन्होंने जिस बात पर सन्तोष प्रकट किया कि केवल दो या तीन राज्य ही जमीनोंकी अुच्चतम मर्यादा बांधनेका अिरादा रखते हैं।

बेशक, डॉ० पंजाबराव देशमुखको जिस विषयमें अपनी यह राय रखनेका अधिकार है। लेकिन यह अुनकी निजी राय ही मानी जानी चाहिये, न कि योजना-कमीशन, भारत-सरकार या कांग्रेसकी। जिस तरह कृषि-मंत्रियोंके सम्मेलनके लिये योजना-कमीशन और अ० भा० कांग्रेस कमेटीके निर्णयोंके खिलाफ किसी निर्णय पर पहुंचना संभव नहीं था। जिसलिये अुसने राष्ट्रीय विकास-कौंसिलके हाथमें यह प्रश्न सौंपकर ठीक ही किया, जिसकी बैठक अक्तूबरके पहले सप्ताहमें नयी दिल्लीमें हुयी।

राष्ट्रीय विकास-कौंसिलकी कार्रवायीकी विस्तृत रिपोर्ट अखबूरोंमें प्रकाशित नहीं हुयी है। हम नहीं जानते कि जिस कौंसिलके पास जमीन-सुधारकी समस्याओं पर सावधानीसे विचार करनेका पूरा समय था या नहीं। लेकिन जिस विषयमें हमें कोअी शक नहीं कि भारत-सरकार और राज्य-सरकारें भारतमें दूरगामी भूमि-सुधार दाखिल करनेकी बातको पहला स्थान देती रहेंगी — और अैसे सुधार दाखिल करनेका वे विशेष ध्यान रखेंगी, जिनसे जमीन पर मेहनत करनेवाले बेजमीन काश्तकारोंमें जमीन बांटना संभव हो। यह बिल्कुल साफ है कि जब तक मौजूदा जमीनोंकी अूचीसे अूची मर्यादा नहीं बांधी जाती, तब तक फिरसे बंटवारा करनेके लिये काफी जमीन नहीं मिल सकती। केवल भविष्यके खेतोंकी अूचीसे अूची मर्यादा बांधकर सन्तोष कर लेना बेकार है। आजके बड़े-बड़े खेतोंको छोड़े बिना, जिनका विस्तार सैकड़ों या हजारों अेकड़ तक भी है, भविष्यके खेतोंकी मर्यादा बांधना अुचित नहीं होगा।

लेकिन हमारा यह मतलब नहीं है कि सारे राज्योंमें हर तरहकी जमीनके लिये अेकसी अूचीसे अूची मर्यादा तय की जाय। बेशक, अलग-अलग प्रदेशों और अलग-अलग श्रेणीकी जमीनके अनुसार जिस मर्यादामें फर्क होगा। हम यह भी नहीं कहते कि शुरूमें यह मर्यादा बहुत नीची बांधी जाय। केवल जमीन-मालिकोंके साथ ही बहुत सख्त बरताव करना ठीक नहीं होगा; राष्ट्रीय जीवनके अन्य सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रोंमें चल रही भयंकर विषमताओं दूर करनेका भी हमें प्रयत्न करना चाहिये। अगर शुरू-शुरूमें जमीनोंकी अूचीसे अूची मर्यादा बांधनेमें थोड़ी अुदारतासे भी काम लिया जाय, तो हमें कोअी अपत्ति नहीं होगी। लेकिन मौजूदा खेतोंकी कोअी अुच्चतम मर्यादा बांधनेसे

बचनेका प्रयत्न बहुत अुचित होगा। जब हमारे देशमें ४५ लाख बेजमीन खेती-मजदूर हों, तब जमीन-मालिकोंका सैकड़ों और हजारों अेकड़ जमीन दबाये रखना कहां तक अुचित कहा जायगा? जमीन कुदरतकी देन है; आदमी न अुसे बढ़ा सकता, न घटा सकता है। जिसलिये आर्थिक असमानताओंकी समस्याको हल करनेके लिये सबसे पहले हमें जमीनके मोर्चे पर ही लड़ायी छेड़नी होगी। दूसरे मोर्चोंकी असमानताओंको अछूता नहीं रहने दिया जा सकता; जायदाद या दौलतके क्षेत्रमें पायी जानेवाली असमानतायें भी दूर करनी होंगी। १५ अक्तूबरसे अमलमें आनेवाला जायदाद-कर कानून जिस दिशामें अुठायी जानेवाला पहला कदम है। जिसके बाद अैसे और कदम भी अुठाने होंगे, जिनसे देशमें आर्थिक समानताकी स्थापना हो और अमीर व गरीबके बीच खड़ी मौजूदा दीवाल टूट सके।

जमीनकी अुच्चतम मर्यादा निर्धारित करते समय कुछ बातोंका ध्यान रखना चाहिये। अैसी जमीनोंको विशेष रियायतें दी जा सकती हैं, जिनमें सहकारी पद्धतिसे खेती होती है। संयुक्त-परिवारकी प्रथाको टूटनेसे बचानेके लिये अकेले परिवारके पास ज्यादासे ज्यादा जितनी जमीन हो सकती है, अुससे तिगुनी जमीन संयुक्त-परिवारके पास रहने दी जा सकती है। अूचीसे अूची सीमा बांध देनेके बाद जो जमीन मालिकोंसे ली जाय, अुसके अुभावजेकी अदायगीका समय २० या ३० बरसका रखा जा सकता है और अुसके लिये अेक भूमि-कमीशन नियुक्त किया जा सकता है। अुच्चतम मर्यादासे अुपरकी जमीनका प्रबन्ध सरकार भी अपने हाथमें ले सकती है और तब अुभावजेका प्रश्न ही नहीं अुठेगा। अुस हालतमें, जैसा कि योजना-कमीशनने सुझाया है, राज्य अैसी जमीनें विशेष करारोंके अनुसार किसानोंको पट्टे पर खेतीके लिये दे सकता है और किसानोंसे कहा जा सकता है कि वे सालाना लगान सरकारी अेजेन्सीके मारफत जमीन-मालिकोंको चुका दिया करें। जिस व्यवस्थाके अुताविक लाखों ग्रामीण मजदूरोंको, अुभावजेका सवाल अुठे बिना, लाखों अेकड़ जमीन बांटी जा सकेगी।

आचार्य विनोबा भावेके भूदान-यज्ञ आन्दोलनने देशमें भूमि-सुधारके लिये अुनुकूल कानून बनानेका आवश्यक वातावरण पैदा करनेमें भारी मदद पहुंचायी है। सच तो यह है कि आज लोगोंके मन न सिर्फ जमीनकी अूची-से-अूची मर्यादाके लिये ही पूरी तरह तैयार हैं, बल्कि बड़े खेतोंके लिये अल्पतम मर्यादा निर्धारित करानेके लिये भी तैयार हैं। विनोबाजीकी यह राय है कि केवल जमीनोंकी अुच्चतम मर्यादा बांधनेसे ही बेजमीन किसानोंमें बांटनेके लिये काफी जमीन नहीं मिल जायगी। अुनका कहना है कि अब राज्यको बड़े खेतोंकी अल्पतम मर्यादा भी बांध देनी चाहिये। अुदाहरणके लिये, राज्यको अैसे हर परिवारके लिये ५ अेकड़ भूमि देनेकी व्यवस्था करनी चाहिये, जो जमीन पर खुद मेहनत करनेके लिये तैयार हो। जमीनकी अुच्चतम मर्यादाके प्रश्न पर तभी विचार किया जाय, जब सारे खेती करनेवाले परिवारोंमें फिरसे जमीन बांट देनेके बाद कोअी अतिरिक्त जमीन हमारे पास हो। जिस सबका यह मतलब है कि देश अब गहरे और दूर तक पहुंचनेवाले भूमि-सुधारोंके लिये तैयार है; अब अैसे कानून बनानेमें जरा भी देर करनेके प्रयत्नसे भारतकी सामाजिक और आर्थिक प्रगतिके ध्येयको भारी नुकसान पहुंचेगा।

श्रीमन्नारायण अग्रवाल

[ता० १५-१०-५३ के 'आर्थिक समीक्षा' से संक्षिप्त]  
(अंग्रेजीसे)

## हरिजन विश्वनाथजीके दर्शनसे वंचित क्यों रहें?

भारतमें ही नहीं बल्कि संसारमें भी काशी अत्यन्त प्राचीन नगरी है। भारतीय इतिहासमें काशी नगरीका अपना विशिष्ट स्थान है। भारतके विशिष्ट प्रदेशोंमें शायद ही जैसे कोबी संत, महात्मा और भक्त होंगे, जिन्होंने काशी नगरीके श्री बाबा विश्वनाथजीके चरणोंमें अपनी श्रद्धांजलि अर्पण न की हो। महात्मा कबीरदास और हरिजनोके महाभागवत संत श्री रैदासजीकी अूस पावन नगरीमें ही हरिजनोका विश्वनाथका दर्शन करना शास्त्र-विरुद्ध है असा कहनेवाले विद्वान् भी रहते हैं।

हम यहां मंदिर-प्रवेशके बारेमें निष्पक्ष बुद्धिसे विचार करें, तो आखिर मंदिर-प्रवेश है क्या? मंदिरमें हम जाते हैं भगवद् दर्शन करनेके लिये। दक्षिण भारतमें मंदिरके दो अंग होते हैं। अेक अूसका गर्भद्वार और दूसरा अूसका सभामंडप। भगवान्की पूजा करनेके लिये पुजारी भीतर प्रवेश करते हैं और दर्शनार्थी सभामंडपसे दर्शन करते हैं। यह आवश्यक नहीं होता है कि प्रत्येक दर्शनार्थी मूर्तिका स्पर्श करे या अूस पर जल चढ़ाये, फूल चढ़ाये या अूसका भोग लगाये। कहा जाता है कि काशीके कुछ विद्वान् हरिजनोके मंदिर-प्रवेशके विरुद्ध जेहाद बोलनेवाले हैं। हम अुनसे नम्रताके साथ यह पूछना चाहते हैं कि जिस मंदिरमें गुलामों द्वारा विजेताके प्रतिनिधियोंको भी विश्वनाथजीके दर्शनके लिये झरोखेकी व्यवस्था की गयी, अुसी मंदिरमें भगवान् विश्वनाथ, भगवान् राम, गंगामाजी, सती सीता-सावित्री, वेद, अुपनिषद्, महाभारत और भारतमें पैदा हुअे संतोंको माननेवाला और समय पड़ने पर मंदिरोंकी रक्षाके लिये प्राणोंकी बाजी लगानेवाला हरिजन श्री विश्वनाथजीके दर्शनसे वंचित रखा जाय, अिससे ज्यादा अंशास्त्रीयता और कृतघ्नताकी बात और क्या हो सकती है? गोमांस-भक्षक आर्योतरोकी खुशामद करके मंदिरमें ले जानेवाले मंदिरके प्रबंधक आज गोमाताके प्रति वही पूजाभाव, जो ये पंडित रखते हैं, शायद अुतनी ही या संभवतः अुनसे ज्यादा श्रद्धा रखनेवाले हरिजनोको श्री विश्वनाथजीके दर्शनसे वंचित रखें, यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।

मैं अपने जीवनकी अेक घटनाका अुल्लेख करना चाहता हूं। अेक समय मैं आश्रममें बैठा हुआ था। चार-पांच सालका अेक हरिजन बालक, जो मूला हुआ था, मेरे पास लाया गया। वह रो रहा था। अुसको मैं ककड़ी खिलाकर समझाना चाहता था। अितनेमें अेक दण्डी संन्यासी आये। अुन्होंने पूछा कि यह बालक कौन है। मैंने कहा कि हरिजन। यह सुनते ही वे रो पड़े। मैंने अुनके रोनेका कारण पूछा। अुन्होंने कहा, यहांसे तीन-चार कोसकी दूरी पर अेक गांव है, वहां मैं पांच-सात दिन था। अेक दिन अेक हरिजन बालक कुअेंके पास पानीके लिये दो-तीन घण्टे खड़ा रहा, लेकिन किसीने अुसे पानी नहीं पिलाया। लोग आते थे और घड़े भरकर ले जाते थे। अितनेमें अेक फकीर आया। अुसको भी कुछ देर वहां रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद अुसने कुअेंसे पानी निकालकर हरिजन बच्चेको पिलाया और अुसे लेकर अुसकी मांके पास जाने लगा। मैं यह सब दूरसे देख रहा था। छिपे छिपे अुनके पीछे गया। वह फकीर घर पर पहुंचा और अुस बच्चेकी मांसे बोला, देखो तुम्हारे बच्चेको किसीने पानी नहीं पिलाया। और भी बहुतसी बातें कहीं। बच्चेकी मां सब सुनती रही। बादमें वह बोली: 'शाह साहब रमुरे हमके सब कुछ दे देव, पर हमारा रामजी, गंगामाजी कहां मिलि हैं?' वह दंडी संन्यासी यह सुन रहे थे। अुनकी आंखोंमें आंसू आ गये। अुन्होंने मुझसे कहा, 'जो व्यवहार अुस बच्चेके साथ हुआ, वह व्यवहार अगर मेरे बच्चेके साथ हुआ होता, तो मैं सहन नहीं कर सकता था। मैं जैसे समाजका कट्टर

दुश्मन बन जाता। पर अुस वहनकी भक्ति देखकर मैं दंग रह गया। मैंने अपनेको अुससे छोटा पाया।'

क्या जैसे हरिजनोको बाबा काशी विश्वनाथके दर्शनसे वंचित रखा जाय?

राघवदास

## खान-बन्धु

"लाहोर, १९ अक्टूबर: सीमाप्रान्तके भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉ० खानसाहबने, जो अिस वक्त अेबीटावादमें नजरबन्द हैं, हालमें ही कहा था कि प्रान्तके दूसरे बहुतसे नजरबन्दोंकी तरह अुन्हें भी अिस 'झूठी दलील पर कि हम राज्यके दुश्मन हैं' देशकी सेवासे वंचित रखा जाता है।

पांच सालसे भी ज्यादा अरसा हुआ जब डॉ० खानसाहबको नजरबन्द किया गया था। अिस लम्बे अर्सेमें अपनी पहली अखबारी मूलाकातमें वे स्थानीय दैनिक 'अिमरोज' के अेक स्तंभ-लेखकके सवालोंका जवाब दे रहे थे।

अुन्होंने कहा, यह मान लेना गलत है कि मैं और मेरे पुराने साथी हुकूमतकी जगहों पर बैठनेके लिये लालायित हैं। 'सच्चायी यह है कि हम बदलेकी आशा किये बिना सरकारको काफी मदद पहुंचा सकते हैं।'

मुल्कका विधान बनानेमें विदेशियोंकी, खास करके ब्रिटिश माहिरोंकी मदद लेनेके लिये अुन्होंने पाकिस्तान सरकारकी टीका की। डॉ० खानसाहब अिस बातके खिलाफ नहीं हैं कि पाकिस्तानके विधानकी रचना अिस्लामके सिद्धान्तोंके आधार पर की जाय, क्योंकि अुनकी रायमें अिन सिद्धान्तोंमें समाजवादका अूँचसे अूँचा आदर्श समाया हुआ है। 'लेकिन मुश्किल यह है कि नये या पुराने विचारोंवाले हमारे लोगोंका बहुत बड़ा हिस्सा अिस्लामको पूरी तरह समझता ही नहीं।'—अुन्होंने कहा।

देशकी राष्ट्रभाषाके सवाल पर अुन्होंने कहा: 'यह विवाद हास्यास्पद है। भाषा कोबी भी हो, भले अंग्रेजी ही क्यों न हो, सच्चा ध्येय तो शिक्षा है। बुनियादी तालीम प्रादेशिक भाषाओंमें अच्छेसे अच्छे ढंगसे दी जा सकती है।'

अुनकी रायमें यह बड़ी बदकिस्मतीकी बात है कि कुछ लोग अपने स्वार्थके लिये ये झगड़े खड़े करके लोगोंमें फूट पैदा करते हैं।

डॉ० खानसाहबने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोहम्मदअलीको लोगोंका पूरा समर्थन मिलना चाहिये। 'वे अूँत्साही, मेहनती और नौजवान हैं। खुदा करे अुन्हें अपने मिशनमें कामयाबी मिले।' पी० टी० आजी०

(२०-१०-५३ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' से)

पांच सालके लम्बे अर्सेके बाद बहादुर खान-बन्धुओंकी आजादी और शांतिकी आवाज सुनकर बड़ी खुशी होती है। लेकिन यह सचमुच बड़े दुःखकी बात है कि दोनों खान-बन्धुओंकी नजरबन्दीके पाकिस्तानी हुकमके कारण वह आवाज अभी तक खामोश रखी गयी है। हम आशा रखें कि पाकिस्तानके प्रधानमंत्री श्री मोहम्मदअली जैसे वक्त अिन बहादुर और देशभक्त नजरबन्दोंको मुक्त करनेका कोबी रास्ता निकालेंगे, जब कि पाकिस्तानके कामकाज और अुसके विधानकी रचनामें अिनके सलाह-मशविरेकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

२४-१०-५३

सगनभाभी देसायी

(अंग्रेजीसे)

## भावी भारतकी अेक तसवीर

किशोरलाल मशहवाला

कीमत १-०-९

डाकखर्च ०-४-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

### मध्यम वर्ग

नागपुरसे अंक भाजी लिखते हैं:

“ता० २९-८-५३ के ‘हरिजन’ में छपे आपके ‘बचत और सामाजिक सुरक्षा’ नामक अग्रलेखके लिखे मेरा अभिनन्दन स्वीकार कीजिये। वह अुपयोगी है, क्योंकि वह विचारप्रेरक है।

“फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि मध्यम वर्गकी स्थितिके बारेमें और राष्ट्रकी अर्थ-व्यवस्थामें वह वर्ग जो भाग लेता है, उसके बारेमें आपने जो बातें कही हैं, वे आज सही नहीं मालूम होतीं। सच पूछा जाय तो जीवन-निर्वाहका खर्च भयंकर रूपमें बढ़ जानेसे उसके पास बचतकी कोजी गुंजाबिश ही नहीं रहती और वह भुखमरीके किनारे पहुंच गया है। आर्थिक मुसीबतोंके दबावके कारण संयुक्त परिवारकी पुरानी प्रथा तेजीसे टूट रही है और आज मध्यम वर्गका ऐसा कोजी परिवार पाना कठिन है, जो बढ़ती हुयी संख्या और घटती हुयी आमदनीके सामने अपने आमद-खर्चमें सन्तुलन कायम रख सके।

“जिस सामाजिक समस्याका अंक दूसरा पहलू भी है, जो न सिर्फ भारतमें बल्कि ब्रिग्लैण्ड और दूसरे देशोंमें भी मध्यम वर्गका कचूरमर निकाल रहा है। विज्ञानकी प्रगति, यंत्रिकरण और धीरे-धीरे मनुष्यका स्थान मशीनके लेनेसे जिस वर्गके रोजी मिलनेके साधन दिनोंदिन घट रहे हैं। अगले दस बरसमें मध्यम वर्गका बहुत थोड़ा हिस्सा हमारे यहां बचा मिलेगा, क्योंकि भारतने औद्योगिकरणकी दिशामें दुनियाके दूसरे राष्ट्रोंके साथ चलनेका फैसला कर लिया है।

“मेरी रायमें मध्यम वर्गके लोगोंके कष्टोंका मूल कारण यह है कि वे यह नहीं महसूस कर पाते कि दरअसल वे निचले सामाजिक स्तरके लोग हैं। अुनकी आदतें, रुचियां और रहन-सहनका ढंग धनी वर्गका है, जब कि अुनकी आमदनी मजदूर वर्गके स्तरकी है—बहुत बार तो अुससे भी नीची होती है। मजदूर वर्ग तो भीख मांगकर भी अपना पेट पाल सकता है, लेकिन मध्यम वर्ग वह भी नहीं कर सकता। जिसका नतीजा है नैतिक पतन और बहुत बार आत्मघात। यह मध्यम वर्ग जितनी जल्दी अपनेको मजदूर वर्गके साथ पूरी तरह मिलाकर अंक कर लेगा, अुतना ही सबका लाभ होगा।”

पत्रलेखकका यह कथन शायद सत्य है कि मध्यम वर्ग आज अुंची कीमतों और अुनके फलस्वरूप आम तौर पर बढ़नेवाले जीवन-निर्वाहके खर्चके कारण बड़ा दुःखी है। लेकिन खर्चकी बढ़तीका असर सभी लोगों पर पड़ता है, जिसमें गरीब मजदूर वर्ग भी शामिल है। मध्यम वर्गके लिखे आमद-खर्चमें सन्तुलन बनाये रखना खास करके जिसलिखे कठिन होता है कि मजदूर वर्गकी तुलनामें मध्यम वर्गके परिवारोंमें आम तौर पर सब बालिग सदस्य आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक काम नहीं करते; केवल अंक या दो सदस्य कमाते हैं और बाकीके अुन पर निर्भर करते हैं।

और, जैसा कि पत्रलेखक कहते हैं, मध्यम वर्गके लोग अुंचे वर्गोंकी तरह जीवन बिताते या बिताना पसन्द करते हैं। यह अुनकी दूसरी कठिनायी है।

जिन दोनों मुसीबतोंका अिलाज खास तौर पर किसी वर्गके हाथमें है। श्री राजाजीने कुछ माह पूर्व मध्यम वर्गको यह कीमती सलाह दी थी कि अुसे दस्तकारियां या हाथ-अुद्योग अपनाये चाहिये। यह भी जरूरी है कि वह सादा जीवन बितावे। कृपायतशारी भी हमारे मध्यम वर्गका अंक बड़ा गुण है, जो दुर्भाग्यसे हमारी

शहरी अर्थ-व्यवस्थासे धीरे-धीरे नष्ट हो रहा है। जिसके साथ में यह भी कहूंगा कि केवल सादगी ही नहीं, बल्कि सहन करने लायक हद तक कठोर जीवन भी आज सामान्य वस्तु हो जानी चाहिये—खास करके मध्यम वर्गके लिखे। क्या आजके जिन कठिन दिनोंमें हम सामाजिक टीमटाम बनाये रखने और निरर्थक मौज-शौककी बातोंमें निठल्ले अुंचे वर्गोंकी नकल करनेमें अपना काफ़ी पैसा बरबाद नहीं कर देते? मुझे बताया गया है कि सिनेमा, शृंगारकी चीजों, तरह तरहकी फैशनवाली पोशाकों वगैरा पर मध्यम वर्गकी गाढ़ी कमायीका बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। अैसा क्यों होना चाहिये? और जिसके लिखे मध्यम वर्गके सिवा और किसे दोष दिया जाय?

अन्तमें पत्रलेखक, मालूम होता है, विलकुल निराश होकर चाहते हैं कि मध्यम वर्गको मजदूर वर्गमें मिल जाना चाहिये। कृपायतशारी, कठोर या संयत जीवन, सादगी और अिनके साथ गृह-अुद्योगोंको जीवनमें स्थान देनेका मेरा सुझाव अुनकी जिस अिच्छाका जवाब है। मध्यम वर्गको खतम करना संभव नहीं है, क्योंकि आजकी सामाजिक रचनाका वह अंक जरूरी अंग है। गड़बड़ यह है कि आज मध्यम वर्गका मुंह अुंचे वर्गोंकी तरफ है और पीठ गरीब मेहनतकश जनताकी तरफ। जिसके कारण, जैसा कि मैं अुपर कह चुका हूं, वह अैसी मुसीबतोंका शिकार होता है, जो टाली जा सकती हैं। वह अुंचे वर्गोंकी नकल और खुशामद करता है तथा गरीब मजदूर वर्गको ठुकराता और अुसकी अुपेक्षा करता है। जिसके कारण आज हममें अंक प्रकारकी वर्ग-विग्रहकी वृत्ति पैदा होती है। अंक दूसरी बात भी है। अैसी वृत्ति जिस वर्गके सारे क्रान्तिकारी अुत्साहको मार देती है। १९४७ के पहले मध्यम वर्ग गरीबोंके भलेका ध्यान रखता था और धनिकोंके सामने अुसकी पीठ रहती थी। लेकिन आज अुसने धनिकोंकी ओर मुंह और गरीबोंकी ओर पीठ कर ली है। नतीजा यह हुआ है कि देशने वह जोश और वह अुत्साह खो दिया है, जिसकी वजहसे अंक राष्ट्रके नाते हम स्वातंत्र्य-प्राप्तिका महान साहस दिखा सके। जिस जोशको खो देनेसे हमें आज भारी हानि अुठानी पड़ रही है। हम पहलेकी तरह तेजीसे अपने सच्चे स्वराज या रामराजके ध्येयकी तरफ नहीं बढ़ सकते। यह अंक राष्ट्रीय संकट है, जो स्वतंत्रता-प्राप्तिके बादका सबसे बड़ा संकट कहा जायगा।

पत्रलेखक और अुनके जरिये अैसे सब लोगोंसे, जो मध्यम वर्गके बारेमें सोचते हैं, मैं विनती करता हूं कि वे मेरी अुपरकी बातों पर विचार करें।

१३-१०-५३  
(अंग्रेजीसे)

मगनभायी देसायी

### स्मरण-यात्रा

[बचपनके कुछ संस्मरण]

काका फालेलकर

कीमत ३-८-०

डाकखर्च ०-११-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद - ९

विषय-सूची	पृष्ठ
साम्ययोगकी व्यापक दृष्टि	विनोवा २७३
गरीबी और बेकारी	अम० आर० अग्रवाल २७४
भाषावार प्रान्तरचनाका सार	मगनभायी देसायी २७६
पारडीमें भूदान-कार्य	मगनभायी देसायी २७६
जमीनकी अुंचीसे अुंची मर्यादा	श्रीमन्नारायण अग्रवाल २७७
हरिजन विश्वनाथजीके दर्शनसे वंचित क्यों रहे?	राधवदास २७९
खान-बन्धु	मगनभायी देसायी २७९
मध्यम वर्ग	मगनभायी देसायी २८०